<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपीलडि/टी.ए./8280/2006/भीलवाडा
गणेश लाल बनाम देवीसिंह</td><td>नम्बर व

तारीख</td></tr>
<tr><td></td><td>

<u>**खण्डपीठ**</u>
श्री सी. आर मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

आदेश

दिनांक 27.10.2021

अपीलार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। बार बार आवाज लगवाई गयी। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता श्री मदनलाल गुर्जर उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के आदेश दिनांक 15-11-2006 के विरूद्ध पेश की गयी थी लेकिन दौराने अपील रेस्पोडेन्ट संख्या-1 श्री देवी किशन दिनांक 28-01-2009 को फौत हो चुका है और उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी दिनांक 20-07-2009 को पेश हुआ है। अपीलान्ट स्वयं गणेशलाल का देहान्त दिनांक 10-02-2015 को हो चुका है और उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन आदेश 22 नियम 3 व 9सीपीसी दिनांक 16-6-2015 को पेश किया गया है। उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों को मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-8-2015 से स्वीकार कर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। इसके उपरान्त मृतक गणेश लाल के वारिसान अपीलार्थीगण में से एक पुत्र गोरधन दिनांक 27-11-2017 को एवं दूसरे पुत्र बाबूलाल दिनांक 17-10-2017 को फौत हो चुके है और रेस्पोडेन्ट संख्या-1 श्री देवी किशन के वारिसान में से उसकी पत्नी चांदी देवी का भी दिनांक 25-4-2021 को देहान्त हो चुका है एवं उसके कायम मुकाम की कार्यवाही अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नहीं की गयी है। इस प्रकार मूल अपीलान्ट के वारिसान गोरधन व बाबूलाल के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है और मूल रेस्पोडेन्ट संख्या-1 श्री देवी किशन की पत्नी
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीलडि/टी.ए./8280/2006/भीलवाडा गणेश लाल बनाम देवीसिंह	नम्बर व तारीख
	मृतक चांदी देवी बाबत् भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी की यह अपील अदम हाजरी अपीलान्ट व अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मय आदेश प्रति नियमानुसार भिजवाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य **(सी. आर. मीणा)** सदस्य	